

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी जांजगीर-चाम्पा वनमण्डल, चाम्पा (छ.ग.)

फोन नं. (07819) 245622, फैक्स - 245622 ई-मेल - dfo-jchampa.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./5996

/2016/चांपा/दिनांक...11.11.2017

प्रति,

Director,

Chhattisgarh WR Transmission Limited,

C-105, Sambhav Building Judges Bungalow Road

Bodakdev, Ahmedabad-380015

विषय : Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 for the purpose of 765 KV S/C Champa Dharamjaygarh Transmission Line, area -23.8803 ha. -Regarding. -पंजीयन क्र. FP/CG/TRANS/18820/2016

संदर्भ - अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छ.ग. रायपुर का प.क्र./3051 दिनांक 17.10.2017.

—:0:—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार विषयांकित प्रस्ताव की प्रथम चरण स्वीकृति दिनांक 21.09.2017 को जारी की गई है। उक्त प्रस्ताव में अधिरोपित समस्त शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन 10 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना माह अप्रैल 2017 से लागू नवीन दर से राशि रु. 18393825/- , प्रत्याशा मूल्य की राशि रु. 16110373/- कैम्पा खाता में तथा वृक्ष विदोहन हेतु राशि रु. 708233/- पी.डी. खाता में जमा कर पावती /रसीद सहित पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को अविलंब प्रेषित करें, ताकि वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जा सके।

1. प्रत्याशा मूल्य की राशि की निर्धारित प्रपत्र में गणना पत्रक।
 2. वृक्ष विदोहन योजना की अनुमोदित राशि पी.डी. खाता में जमा करावें।
 3. कैम्पा में जमा समस्त राशि को वेब साईट पर ई-चालान जेनरेट कराकर प्रस्तुत करें।
- संलग्न - उपरोक्तानुसार.

वनमण्डलाधिकारी

जांजगीर-चाम्पा वनमण्डल